"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2004—भाद्र 26, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—श्री एस. के. राजू, भा. प्र. से. (1998) उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, उत्तर बस्तर (कांकेर) पदस्थ किया जाता है.

2. श्री गेंद सिंह धनंजय, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2004

विषय :— ऐच्छिक अवकाश घोषित करने के संबंध में.

क्रमांक एफ-1-1/2003/1/5.—राज्य शासन वर्ष 2004 के अवकाशों के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 जिसके द्वारा वर्ष 2004 के लिए सार्वजनिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश घोषित किए गये हैं, के अनुक्रम में दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को "श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 400 साल पूरे होने पर मनाये जाने वाले प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर" ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है.

2. उपरोक्त घोषित अवकाश के लिए ऐच्छिक अवकाशों के अधिकतम सीमा 3 दिन की छुट्टियों से अधिक नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2004

क्रमांक ई-7/7/2004/1/2/लीव.—डॉ. पी. राघवन, भा. प्र. से. को दिनांक 31-8-2004 से 13-9-2004 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 29 एवं 30-8-2004 के शासकीय अवकाश तथा 14-9-2004 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. डॉ. राघवन के अवकाश अवधि में श्री राबर्ट हरंगडौला, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़-शासन, श्रम-विभाग-अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ कृषि उत्पादन आयुक्त तथा प्रमुख सचिव कृषि विभाग का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर डॉ. राघवन, आगामी आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त तथा प्रमुख सचिव कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में डॉ. राघवन को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राघवन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2004

क्रमांक ई-7/43/2004/1/2/लीव.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 15 के तहत श्रीमती ऋचा शर्मा, भा. प्र. से. को दिनांक 23-8-2004 से 23-10-2004 तक (62 दिवस) का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्रीमती ऋचा शर्मा को कोई वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ऋचा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2004

क्रमांक एफ 4-323/दो/गृह-सी/2004.—चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किया जाने का प्रतिषेध किया जाये.

अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने की तारीख 25 अगस्त 2004 से प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में लोक और राज्य माल परिवहन के सेवा तथा वर्कशाप से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यकारी, संचालन और अनुसचिविय व्यक्तियों के सभी कार्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2004

क्रमांक एफ 4-323/दो/गृह-सी/2004.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड 3 (1) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-323/दो/गृह-सी/2004, दिनांक 25 अगस्त, 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

Raipur, the 25th August 2004

No. F-4-323/Two/Home-C/2004.—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential service specified in the schedule below.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential service specified in the schedule with effect from 25 August 2004 :—

SCHEDULE

Scientific, technical, executive, operative and Ministerial personnel connected with public and State motor transport and workshops.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. SUBRAMANIAM, Special Secretary.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जून 2004

क्रमांक एफ-9-8/गृह/दो/04.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2004 को प्रश्नपत्र ''प्रशासनिक राजस्व विधि एवं प्रक्रिया'' प्रश्नपत्र-प्रथम भाग-ए एवं द्वितीय प्रश्नपत्र विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डा. ललित शुक्ला	जिला संयोजक	उच्चस्तर

2. निम्नांकित परीक्षार्थी को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर का अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्नपत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अमरचंद वर्मन	जिला संयोजक	प्रथम प्रश्नपत्र भाग-ए में उच्चस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2004

क्रमांक एफ-1-2/2004/23/वि.यो.—छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-12/2004/एक (1), दिनांक 28 जुलाई 2004 के द्वारा डॉ. दीनानाथ तिवारी, उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है.

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल को देय वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा प्रसारित निर्देश क्रमांक 36/797/2003/वि/नि/चार, दिनांक 15-1-2003 लागू नहीं होंगे.

3. इस विभाग के आदेश क्रमांक 672/वि. यो./23/2004, दिनांक 1-7-2004 एवं छ. ग. मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा उपाध्यक्ष, राज्य योजना मंण्डल की सेवा शर्तें तथा देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण संलग्न परिशिष्ट-एक के अनुसार करता है.

4. वेतन भत्ते आदि संबंधी उपरोक्त शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

5. डॉ. दीनानाथ तिवारी, उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल को जो सुविधायें दी जा रही है, पर होने वाला व्यय मांग संख्या 31 मुख्य लेखा शीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं (101) योजना आयोग-आयोजना बोर्ड 3686-राज्य योजना मण्डल के मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

6. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्र. 751/सी-507/वि/नि/04, दिनांक 11-8-2004 द्वारा महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. बीशी, विशेष सचिव.

परिशिष्ट-एक

1.	वेतन	रुपये 1,500/-
2.	कार्यकाल की अवधि में प्रतिदिन का दैनिक भत्ता	रुपये 600/-
3.	सत्कार भत्ता	रुपये 2500 प्रतिमाह
4.	वाहन	एक
5.	पेट्रोल प्रतिमाह	350 लीटर
6.	चिकित्सा सुविधाएं प्रतिमाह	निःशुल्क (स्वयं तथा उनके कुटुम्ब के सदस्यों हेतु अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के तहत चिकित्सा सुविधा).
7.	यात्रा दैनिक भत्ता (प्रतिदिन)	रुपये 51/- (छत्तीसगढ़ के अंदर) रुपये 60/- (छत्तीसगढ़ के बाहर)
8.	यात्रा सुविधा	एच. ओ. आर. पर दो व्यक्तियों को रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी की सुविधा-- 1. पद ग्रहण करने के लिए रायपुर से बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक को गई यात्रा के संबंध में, और

		2.	पदमुक्त होने पर रायपुर से सामान्य निवास स्थान तक की गई यात्रा के संबंध में अपने स्वयं के लिए तथा अपने कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के लिए जो उस पर आश्रित हो और अपनी तथा अपने कुटुम्ब की चीज वस्तु के परिवहन के लिये यात्रा भत्ता प्राप्त करने का और
		3.	उन दौरों के संबंध में, जो कि उसने अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में थल, जल या वायु मार्ग द्वारा किये हो, यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, और
		4.	इन दौरों के दौरान विश्राम भवनों तथा विश्राम गृहों में जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित हो ठहरे तो उसे उन विश्राम भवनों तथा विश्राम गृहों में आवास सुविधा तथा विद्युत व्यवस्था उस ठहरने की अवधि में निःशुल्क उपलब्ध रहेगी.
9.	वाहन चालक	दो	
10.	दूरभाष सुविधा	1.	दो (एक कार्यालय हेतु एक निवास हेतु) फेक्स सुविधा सहित.
		2.	एक मोबाइल फोन
11.	स्टाफ		
	1. विशेष सहायक	एक	
	2. निज सचिव	एक	
	3. निज सहायक	दो	
	4. भृत्य	तीन	
	5. सुरक्षा कर्मी	दो	
	6. आवास सुविधा	1.	एक सुसज्जित उपयुक्त आवास भवन
		2.	आवास में अन्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एक बार का व्यय रु. 35,000/- (पैंतीस हजार मात्र).
		3.	विद्युत एवं जल सुविधा निःशुल्क.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2004

क्रमांक 1445/बी-14/12/2004/14-2.—"बीज अधिनियम, 1966" की धारा 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला को, "बीज विश्लेषक" घोषित करता है. इनका क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

Raipur, the 1st September 2004

No. D-14/12/2004/14-2/1445.—In exercise of the powers conferred by sub section (12) of the Seed Act, 1966, the State Government hereby declares, the Seed Testing Officer, State Seed Testing Laboratory as, "Seed Analyst". His jurisdiction will be the whole State of Chhattisgarh.

This notification will come into effect from its date of publication in official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2004

फा. क्र. 4208/1108/21-ब/छ.ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती गीतेश मल्ल, अधिवक्ता, जगदलपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए बस्तर (जगदलपुर) जिले के लिए प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2004

फा. क्र. 4209/443/21-ब/छ.ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जयंत मनोहर, राजिम वाले, अधिवक्ता, रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए रायपुर जिले के लिए प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

फा. क्र. 5199/1855/21-ब/छ.ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नर्वदेश्वर प्रताप सिंह, अधिवक्ता, सरगुजा (अंबिकापुर), छ. ग. को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए सरगुजा, अंबिकापुर (छ. ग.) के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2004

क्रमांक 864/573/32/04.—छत्तीसगढ़ शासन नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा नवागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए निवेश क्षेत्र का गठन करता है. जिसकी सीमाएं नीचे दर्शायी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है.

अनुसूची

नवागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर	-	ग्राम सेमरा, तेदुआ, शिऊर, रोगदा एवं धराशिव ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व	-	ग्राम धराशिव, पेंडरी, पीपरी एवं कोरत ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण	-	ग्राम कोरित, नेगुरडीह, कोटिया एवं पोड़ी ग्रामों को दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम	-	ग्राम पोड़ी, सेमरा, तेदुंआ, तुर्री एवं सिऊर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 28 अप्रैल 2004

रा. प्र. क्रमांक/01/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	पाल	सरनाडीह	0.16	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, उप संभाग, अंबिकापुर.	बलरामपुर-कुसमी मार्ग पर चनान सेतु पहुंच मार्ग के पुलिया निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अप्रैल 2004

रा. प्र. क्रमांक/02/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	पाल	बराहनगर	0.16	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, उप संभाग, अंबिकापुर.	मुरकोल-डिण्डो मार्ग में चुंमर सेतु पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 अगस्त 2004

क्रमांक 5762/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	झिटिया प. ह. नं. 3	1.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	एडमागोंदी जलाशय के उलट नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय, मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 अगस्त 2004

क्रमांक 5763/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	बैरागीभेड़ी प. ह. नं. 42	1.76	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	झालाटोला जलाशय के उलट नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 अगस्त 2004

क्रमांक 5764/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कोलिहालमती प. ह. नं. 55	0.95	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	सीताकसा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक 766/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/01/अ/82-2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	चिखली	0.82	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धुमरापदर जलाशय के उलट नाली निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक 767/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/02/अ/82-2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	सरनाबहाल	3.07	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धुमरापदर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक 768/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/03/अ/82-2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	धुमरापदर	2.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धुमरापदर जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2004

क्रमांक 848/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/04/अ/82-98-99.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	राजिम	गदहीडीह	0.456	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन गरियाबंद.	फिंगेश्वर उदवहन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर नाली का निर्माण.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2004

क्रमांक 849/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/05/अ/82-98-99.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	राजिम	परसदाकला	0.944	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन गरियाबंद.	फिंगेश्वर उदवहन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर नाली का निर्माण.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2004

क्रमांक 851/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/10/अ/82-2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	राजिम	बिजली	1.221	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	बिजली उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/11/अ/82 वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	मोहतरा	3.166	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल, जिला-रायपुर. (छत्तीसगढ़).	जोंक व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 5 अगस्त 2004

क्रमांक 365/अ-82/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	बेमेतरा प. ह. नं. 29	5.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	मुड़पार जलाशय योजना के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक 22/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मोहदा	0.44	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग क्रमांक 1, बिलासपुर.	मोहदा-अटरा मार्ग निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक 23/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	अटर्रा	0.22	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग क्रमांक 1, बिलासपुर.	मोहदा-अटर्रा मार्ग निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व) बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 19 अगस्त 2004

क्र. 1/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004/10002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	पंडरीपानी प. ह. नं. 5	86.040	अति. अधीक्षण यंत्री (सि.) भू-अर्जन छ. ग. रा. वि मं. कोरबा, पूर्व.	राखड़ संग्रहंण क्षेत्र हेतु निजी भूमि अर्जन.

कोरबा, दिनांक 19 अगस्त 2004

क्र. 5/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004/10005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रिसदी प. ह. नं. 4	2.737	अति. अधीक्षण यंत्री (सि.) भू-अर्जन छ. ग. रा. वि मं. कोरबा, पूर्व.	राखड़ पाईप लाईन हेतु निजी भूमि अर्जन.

कोरबा, दिनांक 19 अगस्त 2004

क्र. 6/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004/10003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	गोढ़ी प. ह. नं. 5	0.523	अति. अधीक्षण यंत्री (सि.) भू-अर्जन छ. ग. रा. वि मं. कोरबा, पूर्व.	राखड़ पाईप लाईन हेतु निजी भूमि अर्जन.

कोरबा, दिनांक 19 अगस्त 2004

क्र. 8/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004/10004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	गोढ़ी प. ह. नं. 5	33.680	अति. अधीक्षण यंत्री (सि.) भू-अर्जन छ. ग. रा. वि मं. कोरबा, पूर्व.	राखड़ संग्रहण क्षेत्र हेतु निजी भूमि अर्जन.

कोरबा, दिनांक 25 अगस्त 2004

क्र. 3/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004/10297.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	भुलसीडीह प. ह. नं. 10	2.007	अति. अधीक्षण यंत्री (सि.) भू-अर्जन छ. ग. रा. वि मं. कोरबा, पूर्व.	राखड़ पाईप लाईन हेतु निजी भूमि अर्जन.

कोरबा, दिनांक 25 अगस्त 2004

क्र. 4/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004/10296.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रामपुर प. ह. नं. 4	1.171	अति. अधीक्षण यंत्री (सि.) भू-अर्जन छ. ग. रा. वि मं. कोरबा, पूर्व.	राखड़ पाईप लाईन हेतु निजी भूमि अर्जन.

कोरबा, दिनांक 25 अगस्त 2004

क्र. 2/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004/10295.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	नकटीखार प. ह. नं. 5	2.513	अति. अधीक्षण यंत्री (सि.) भू-अर्जन छ. ग. रा. वि मं. कोरबा, पूर्व.	राखड़ पाईप लाईन हेतु निजी भूमि अर्जन.

कोरबा, दिनांक 25 अगस्त 2004

क्र. 7/भू-अर्जन/अ-82/2003-2004/10294.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	झगरहा प. ह. नं. 10	3.789	अति. अधीक्षण यंत्री (सि.) भू-अर्जन छ. ग. रा. वि मं. कोरबा, पूर्व.	राखड़ पाईप लाईन हेतु निजी भूमि अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 सितम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सलियाभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-65.452 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18/1	0.575
20/2	0.434
23	0.676
33	0.829
54	0.129
59	0.263
63	1.023
147/2	0.077
148	0.814
168	0.255
173/1	0.085
175/2	0.340
180/2	0.214
185	0.045
189	0.725
7	0.356
9/1	0.072

(1)	(2)	(1)	(2)
9/2	0.044	44/3	0.202
9/3	0.374	45	1.234
10	0.223	46	0.539
11	0.049	47	0.162
12	0.065	48	0.267
13	0.081	49	0.753
14	0.138	50/1	0.627
15/1	2.148	50/2	0.627
15/2	0.243	53	0.979
15/3	0.405	55	0.332
15/4	0.372	56	0.206
15/5	0.186	57	0.324
15/6	0.162	58/1	0.607
15/7	0.138	58/2	0.303
15/8	0.073	60/5	0.607
15/9	0.097	61	0.918
16/1	1.416	62	0.490
16/2	0.473	64	0.332
17/1	0.441	65	0.182
17/2	0.312	66	5.431
18/2	0.458	~~67/1~~	0.526
19	0.287	67/2	0.304
20/3	0.498	69	0.214
22	0.227	70/2	0.243
24/1	1.432	70/3	0.081
24/2	0.716	73/1	0.081
25	0.798	73/2	0.088
26/1	0.216	73/3	0.224
26/2	0.108	75	1.072
27/1	0.336	76/1	0.088
27/2	0.336	76/2	0.045
29/2	0.040	76/3	0.045
29/3	0.243	77	0.267
30	0.603	141	0.430
34	0.085	142/1	0.478
36	0.016	142/2	0.069
37	0.267	142/3	0.304
40	0.555	143	0.401
41	0.295	144	0.312
42	0.174	~~145/1~~	0.150
44/1	0.179	145/2	0.081
44/2	0.202	145/3	0.081

(1)	(2)
146/1	0.441
146/2	0.093
146/3	0.474
146/4	0.113
146/5	0.191
147/3	0.101
149/1	0.482
149/2	0.182
151/1	0.627
151/2	0.469
152	0.543
153	0.057
154	2.525
155/2	0.117
155/3	0.235
158	1.100
159	0.486
160	0.591
161/1	0.114
161/2	0.129
162	0.809
163	0.214
164	1.052
165/1	0.081
165/2	0.247
166	0.388
167/1	0.943
167/2	0.380
169	0.170
170	0.413
171	0.344
172/1	0.065
172/2	0.085
172/3	0.113
173/2	0.397
174	0.421
175/1	0.041
175/3	0.040
176/1	1.943
176/2	0.263
177	0.713
178	0.210
179/2	0.291
179/3	0.372
181	0.393
182	0.405
183	0.243
184/1	0.186
184/2	0.097
184/3	0.138
184/4	0.065
184/5	0.153
184/6	0.077
184/7	0.101
186/2	0.219
20/1	0.223
60/4	0.243
132/1	0.231
150	0.121
51/1	0.024
51/2	0.024
51/3	0.024
51/4	0.029
51/5	0.081
51/6	0.081
147/1	0.129
157/1	0.133
157/2	0.069
157/3	0.069
योग 170	65.452

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है औद्योगिक प्रयोजनार्थ.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.